

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 274-सन् 2021
अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

—: आदेश :-

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट - "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ के निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 1.7636 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.3883 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.8495 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.4126 हैक्टेयर किस्म बारानी-A में से रकबा 0.0016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म बंजर-। 0.2670 हैक्टेयर, बारानी-। 0.3398 हैक्टेयर में से रकबा 0.0256 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0212 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 1.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/3 रकबा 0.7686 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0056 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.7686 किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0092 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/1 रकबा 0.7686 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139/661 रकबा 1.2864 हैक्टेयर किस्म बारानी-। 0.7928 हैक्टेयर, बारानी-2 0.4936 हैक्टेयर में से रकबा 0.0680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.098 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663/2 रकबा 0.5097 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0098 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 663/3 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में से रकबा 0.0098 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ के निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 1.7636 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.3883 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0120 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.8495 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.4126 हैक्टेयर किस्म बारानी-A में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0016 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.6068 हैक्टेयर किस्म बंजर-। 0.2670 हैक्टेयर, बारानी-। 0.3398 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0256 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0212 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.7847 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0148 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665 रकबा 1.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/3 रकबा 0.7686 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0056 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/2 रकबा 0.7686 किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0092 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664/1 रकबा 0.7686 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0088 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1139/661 रकबा 1.2864 हैक्टेयर किस्म बारानी-। 0.7928 हैक्टेयर, बारानी-2 0.4936 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0098 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663/2 रकबा 0.5097 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0098 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 663/3 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी-। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0098 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में गैर मुमकिन रास्ता के नाम से करावे, किन्तु उक्त गैर मुमकिन रास्ता सम्बन्धित खसरा नम्बर 662 रकबा 1.7636 हैक्टेयर किस्म बारानी-। की खातेदारान् की खातेदारी भूमि में ही दर्ज रहते हुए खातेदारी भूमि का रकबा पूर्वानुसार ही धारणित रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 16/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)